तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रामोतार मीना बनाम लोकसूचना अधिकारी(अति.संभागीय आयुक्त) जयपुर** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/232**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
25.07.23	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ.19(4)(1)आरटीआई/2023/275 दिनांक 17.07.2023 प्राप्त। जिसमें उन्होने अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है जिसके क्रम में कार्यालय के समसंख्यक पत्राक 161 दिनांक 27.03.2023 के द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमाकर सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क राजकोष में जमा नही कराया गया है शुल्क जमा कराने पर सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी ने अपने समसंख्यक पत्रांक 161 दिनांक 27.03.2023 के द्वारा अपीलार्थी को प्रतिलिपि शुल्क राजकोष में जमा कराने हेतु लिखा गया है किन्तु अभी तक अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमा नही कराने पर सूचना उपलब्ध नही कराई गई है तथा शुल्क जमा कराने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जावेंगी। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रतिलिपि उभयपक्ष को भिजवाई जावें तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	